

गृह मंत्रालय
मांग संख्या 46
गृह मंत्रालय

(₹ करोड़)

| | वास्तविक 2016-2017 | | | बजट 2017-2018 | | | संशोधित 2017-2018 | | | बजट 2018-2019 | | |
|--|--------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
| कुल | 4513.05 | 199.05 | 4712.10 | 4777.03 | 322.97 | 5100.00 | 4796.10 | 303.90 | 5100.00 | 4468.91 | 324.45 | 4793.36 |
| वसूलियां | -11.44 | ... | -11.44 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| प्राप्तियां | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| निवल | 4501.61 | 199.05 | 4700.66 | 4777.03 | 322.97 | 5100.00 | 4796.10 | 303.90 | 5100.00 | 4468.91 | 324.45 | 4793.36 |
| क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है: | | | | | | | | | | | | |
| केंद्र का व्यय | | | | | | | | | | | | |
| केन्द्र का स्थापना व्यय | | | | | | | | | | | | |
| 1. सचिवालय | 394.65 | 18.11 | 412.76 | 397.12 | 38.02 | 435.14 | 400.23 | 29.87 | 430.10 | 429.14 | 9.42 | 438.56 |
| 2. राजभाषा | 56.65 | ... | 56.65 | 65.48 | ... | 65.48 | 64.90 | ... | 64.90 | 75.45 | ... | 75.45 |
| 3. राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल (एनडीआरएफ) | 670.42 | 39.96 | 710.38 | 598.35 | 51.92 | 650.27 | 746.60 | 46.00 | 792.60 | 814.10 | 50.00 | 864.10 |
| जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय | 1121.72 | 58.07 | 1179.79 | 1060.95 | 89.94 | 1150.89 | 1211.73 | 75.87 | 1287.60 | 1318.69 | 59.42 | 1378.11 |
| केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं | | | | | | | | | | | | |
| 4. प्रवासियों और प्रत्यायवासियों को राहत और पुनर्वास | 629.66 | ... | 629.66 | 1205.90 | ... | 1205.90 | 1058.66 | ... | 1058.66 | 786.81 | ... | 786.81 |
| 5. स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन एवं अन्य लाभ | 762.09 | ... | 762.09 | 750.16 | ... | 750.16 | 761.46 | ... | 761.46 | 775.15 | ... | 775.15 |
| 6. हेलिकाप्टर सेवाएं | | | | | | | | | | | | |
| 6.01 पूर्वोत्तर क्षेत्र | 86.00 | ... | 86.00 | 86.00 | ... | 86.00 | 86.00 | ... | 86.00 | 90.00 | ... | 90.00 |
| 6.02 जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 7.01 | ... | 7.01 | 15.00 | ... | 15.00 |
| जोड़- हेलिकाप्टर सेवाएं | 86.00 | ... | 86.00 | 86.00 | ... | 86.00 | 93.01 | ... | 93.01 | 105.00 | ... | 105.00 |
| आपदा प्रबंधन | | | | | | | | | | | | |
| 7. आपदा प्रबंधन के लिए अवसंरचना | ... | 140.98 | 140.98 | ... | 208.02 | 208.02 | ... | 203.02 | 203.02 | ... | 240.02 | 240.02 |
| 8. राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना | 4.27 | ... | 4.27 | 4.25 | ... | 4.25 | 3.39 | ... | 3.39 | 3.94 | ... | 3.94 |
| 9. अन्य आपदा प्रबंधन योजनाएं | 44.79 | ... | 44.79 | 81.30 | ... | 81.30 | 81.65 | ... | 81.65 | 104.50 | ... | 104.50 |
| जोड़-आपदा प्रबंधन | 49.06 | 140.98 | 190.04 | 85.55 | 208.02 | 293.57 | 85.04 | 203.02 | 288.06 | 108.44 | 240.02 | 348.46 |
| 10. जम्मू एवं कश्मीर के लिए विशेष उद्योग पहल | 100.00 | ... | 100.00 | 70.00 | ... | 70.00 | 100.00 | ... | 100.00 | 100.00 | ... | 100.00 |
| 11. नागरिक कार्रवाई कार्यक्रम और मिडिया योजना | 102.02 | ... | 102.02 | 70.00 | ... | 70.00 | 63.00 | ... | 63.00 | 21.00 | ... | 21.00 |
| जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं | 1728.83 | 140.98 | 1869.81 | 2267.61 | 208.02 | 2475.63 | 2161.17 | 203.02 | 2364.19 | 1896.40 | 240.02 | 2136.42 |
| केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय | | | | | | | | | | | | |

(₹ करोड़)

| | वास्तविक 2016-2017 | | | बजट 2017-2018 | | | संशोधित 2017-2018 | | | बजट 2018-2019 | | |
|--|--------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
| स्वायत्त निकाय | | | | | | | | | | | | |
| 12. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग | 40.90 | ... | 40.90 | 48.91 | 0.01 | 48.92 | 41.60 | 0.01 | 41.61 | 48.72 | 0.01 | 48.73 |
| अन्य | | | | | | | | | | | | |
| 13. जनगणना, सर्वेक्षण और सांख्यिकी/भारत का महारजिस्टार | 901.65 | ... | 901.65 | 609.57 | 25.00 | 634.57 | 667.96 | 25.00 | 692.96 | 526.14 | 25.00 | 551.14 |
| 14. अन्य केंद्रीय विविध व्यय | 18.16 | ... | 18.16 | 22.27 | ... | 22.27 | 22.37 | ... | 22.37 | 23.46 | ... | 23.46 |
| 15. वास्तविक वसूलियां | -11.44 | ... | -11.44 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| जोड़-अन्य | 908.37 | ... | 908.37 | 631.84 | 25.00 | 656.84 | 690.33 | 25.00 | 715.33 | 549.60 | 25.00 | 574.60 |
| जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय | 949.27 | ... | 949.27 | 680.75 | 25.01 | 705.76 | 731.93 | 25.01 | 756.94 | 598.32 | 25.01 | 623.33 |
| राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण | | | | | | | | | | | | |
| अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण | | | | | | | | | | | | |
| 16. विश्व बैंक की सहायता से राष्ट्रीय चक्रवात न्यूनीकरण परियोजना | 630.00 | ... | 630.00 | 690.00 | ... | 690.00 | 627.00 | ... | 627.00 | 600.00 | ... | 600.00 |
| 17. अन्य आपदा प्रबंधन परियोजना | 14.79 | ... | 14.79 | 25.72 | ... | 25.72 | 15.27 | ... | 15.27 | 12.50 | ... | 12.50 |
| 18. होम गार्ड | 35.00 | ... | 35.00 | 26.00 | ... | 26.00 | 25.00 | ... | 25.00 | 26.00 | ... | 26.00 |
| 19. नागरिक रक्षा | 10.00 | ... | 10.00 | 10.00 | ... | 10.00 | 8.00 | ... | 8.00 | 8.00 | ... | 8.00 |
| 20. केंद्रीय अधिनियमों के प्रशासन के लिए राज्य सरकारों को भुगतान | 12.00 | ... | 12.00 | 16.00 | ... | 16.00 | 16.00 | ... | 16.00 | 9.00 | ... | 9.00 |
| जोड़-अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण | 701.79 | ... | 701.79 | 767.72 | ... | 767.72 | 691.27 | ... | 691.27 | 655.50 | ... | 655.50 |
| कुल जोड़ | 4501.61 | 199.05 | 4700.66 | 4777.03 | 322.97 | 5100.00 | 4796.10 | 303.90 | 5100.00 | 4468.91 | 324.45 | 4793.36 |
| ख. योजना परिव्यय | | | | | | | | | | | | |
| सामान्य सेवाएं | | | | | | | | | | | | |
| 1. मंत्रिपरिषद | 0.20 | ... | 0.20 | 1.00 | ... | 1.00 | 0.50 | ... | 0.50 | 1.00 | ... | 1.00 |
| 2. सचिवालय-सामान्य सेवाएं | 352.97 | ... | 352.97 | 346.17 | ... | 346.17 | 350.41 | ... | 350.41 | 370.90 | ... | 370.90 |
| 3. जेल | 1.00 | ... | 1.00 | 2.00 | ... | 2.00 | 2.00 | ... | 2.00 | 2.00 | ... | 2.00 |
| 4. अन्य प्रशासनिक सेवाएं | 171.06 | ... | 171.06 | 197.69 | ... | 197.69 | 189.94 | ... | 189.94 | 188.22 | ... | 188.22 |
| 5. विविध सामान्य सेवाएं | 0.02 | ... | 0.02 | 0.05 | ... | 0.05 | 0.05 | ... | 0.05 | 0.05 | ... | 0.05 |
| 6. लोक निर्माण कार्यो पर पूंजी परिव्यय | ... | 15.51 | 15.51 | ... | 30.31 | 30.31 | ... | 25.16 | 25.16 | ... | 5.51 | 5.51 |
| 7. अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय | ... | 2.60 | 2.60 | ... | 7.72 | 7.72 | ... | 4.72 | 4.72 | ... | 3.92 | 3.92 |
| जोड़-सामान्य सेवाएं | 525.25 | 18.11 | 543.36 | 546.91 | 38.03 | 584.94 | 542.90 | 29.88 | 572.78 | 562.17 | 9.43 | 571.60 |
| सामाजिक सेवाएं | | | | | | | | | | | | |
| 8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण | 784.96 | ... | 784.96 | 1166.30 | ... | 1166.30 | 1368.51 | ... | 1368.51 | 1195.29 | ... | 1195.29 |
| 9. प्राकृतिक आपदा राहत | 741.21 | ... | 741.21 | 712.13 | ... | 712.13 | 859.41 | ... | 859.41 | 954.66 | ... | 954.66 |

(₹ करोड़)

| | वास्तविक 2016-2017 | | | बजट 2017-2018 | | | संशोधित 2017-2018 | | | बजट 2018-2019 | | |
|---|--------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
| 10. अन्य सामाजिक सेवाएं | 163.50 | ... | 163.50 | 0.63 | ... | 0.63 | 0.43 | ... | 0.43 | 0.48 | ... | 0.48 |
| 11. अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय | ... | 180.94 | 180.94 | ... | 259.94 | 259.94 | ... | 249.02 | 249.02 | ... | 290.02 | 290.02 |
| जोड़-सामाजिक सेवाएं | 1689.67 | 180.94 | 1870.61 | 1879.06 | 259.94 | 2139.00 | 2228.35 | 249.02 | 2477.37 | 2150.43 | 290.02 | 2440.45 |
| आर्थिक सेवाएं | | | | | | | | | | | | |
| 12. नागर विमानन | 86.00 | ... | 86.00 | 86.00 | ... | 86.00 | 86.00 | ... | 86.00 | 90.00 | ... | 90.00 |
| 13. जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी | 893.75 | ... | 893.75 | 576.57 | ... | 576.57 | 634.96 | ... | 634.96 | 493.14 | ... | 493.14 |
| 14. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय | ... | ... | ... | ... | 25.00 | 25.00 | ... | 25.00 | 25.00 | ... | 25.00 | 25.00 |
| जोड़-आर्थिक सेवाएं | 979.75 | ... | 979.75 | 662.57 | 25.00 | 687.57 | 720.96 | 25.00 | 745.96 | 583.14 | 25.00 | 608.14 |
| अन्य | | | | | | | | | | | | |
| 15. पूर्वोत्तर क्षेत्र | ... | ... | ... | 33.00 | ... | 33.00 | 33.00 | ... | 33.00 | 33.00 | ... | 33.00 |
| 16. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान | 1306.55 | ... | 1306.55 | 1654.77 | ... | 1654.77 | 1270.52 | ... | 1270.52 | 1139.67 | ... | 1139.67 |
| 17. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान | 0.39 | ... | 0.39 | 0.72 | ... | 0.72 | 0.37 | ... | 0.37 | 0.50 | ... | 0.50 |
| जोड़-अन्य | 1306.94 | ... | 1306.94 | 1688.49 | ... | 1688.49 | 1303.89 | ... | 1303.89 | 1173.17 | ... | 1173.17 |
| कुल जोड़ | 4501.61 | 199.05 | 4700.66 | 4777.03 | 322.97 | 5100.00 | 4796.10 | 303.90 | 5100.00 | 4468.91 | 324.45 | 4793.36 |

आंदोलन के अंतर्गत स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन और (iii) भूतपूर्व निजाम स्टेट ऑफ हैदराबाद का भारत संघ में विलय करने के संघर्ष में भाग लेने वाले लोगों को पेंशन शामिल है।

1. **सचिवालय:** प्रावधान, भुगतान एवं लेखा सचिवालय, नागरिक सुरक्षा महाविद्यालय, राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागरिक सुरक्षा महानिदेशालय, अंतर-राज्य परिषद सचिवालय तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सहित गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले विभिन्न विभागों के सचिवालय संबंधी व्यय के लिए है।

2. **राजभाषा:** इसमें केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को हिंदी शिक्षण, केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों आदि पर होने वाला व्यय शामिल है।

3. **राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल (एनडीआरएफ):** यह प्रावधान राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के प्रशासनिक व्ययों तथा स्थापना लागत को वहन करने के लिए है। पूंजीगत भाग के अंतर्गत प्रावधान मशीन एवं उपकरणों तथा मोटर वाहनों के प्रापण के लिए है।

4. **प्रवासियों और प्रत्यावासियों को राहत और पुनर्वास:** यह प्रावधान (i) श्रीलंका से आए तथा शिविरों में रह रहे शरणार्थियों के पुनर्वास (ii) तिब्बत तथा भूतपूर्व पश्चिमी एवं पूर्वी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों पर व्यय (iii) त्रिपुरा, असम एवं मिजोरम के पूर्वोत्तर राज्यों को राहत एवं पुनर्वास सहायता (iv) 1984 के दंगा पीड़ितों को बड़े हुए मुआवजे (v) भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा करार के लिए है।

5. **स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन एवं अन्य लाभ:** स्वतंत्रता सेनानी (पेंशन और अन्य लाभ): इसमें (i) भूतपूर्व अंडमान राजनैतिक कैदियों, स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों के लिए स्वीकृत स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना (ii) गोवा मुक्ति

6.01. **पूर्वोत्तर क्षेत्र:** इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्रों को शेष भारत से जोड़ने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू करने हेतु सस्मिडी के भुगतान का प्रावधान शामिल है।

6.02. **जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश:** जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में दूरदराज के इलाकों में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए रियायती हेलिकॉप्टर सेवाओं के लिए यह प्रावधान है।

7. **आपदा प्रबंधन के लिए अवसंरचना:** यह प्रावधान राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के कार्यालय भवन तथा रिहायशी भवन के निर्माण, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के लिए भूमि अधिग्रहण/निर्माण तथा आपदा की स्थिति में द्रुत कार्रवाई के लिए विशेषीकृत क्षमता निर्माण पर होने वाले व्यय के लिए है।

8. **राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना:** (8) तथा (16) यह प्रावधान चक्रवात संकट संभावित तटीय राज्यों में खतरे को कम करने के लिए विश्व बैंक की सहायता से राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रथमन परियोजना पर प्रशासनिक व्यय राज्य सरकारों को सहायता अनुदान के लिए है।

9. **अन्य आपदा प्रबंधन योजनाएं:** (9) तथा (17) प्रावधान (i) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कार्यक्रमों (प्राकृतिक आपदा तथा मानवजनित आपदा दोनों) (ii) आपदा संबंधी आईईसी तथा प्रशिक्षण के लिए विभिन्न संस्थानों/विश्वविद्यालयों को सहायता अनुदान

प्रदान करने, (iii) यूएसएआईडी आपदा प्रबंधन, (iv) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली, (v) विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम सहित आपदा प्रबंधन परियोजनाओं के लिए है। (vi) कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों को सहायता अनुदान के लिए है।

10. **जम्मू एवं कश्मीर के लिए विशेष उद्योग पहल:** इस योजना में जम्मू एवं कश्मीर राज्य में स्नातक, स्नातकोत्तर, व्यावसायिक डिग्री धारक छात्रों की रोजगार क्षमता में वृद्धि करने के लिए उनमें कौशल का विकास करने का प्रावधान है।

11. **नागरिक कार्रवाई कार्यक्रम और मिडिया योजना:** इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों, जम्मू एवं कश्मीर तथा अन्य क्षेत्रों में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों द्वारा नागरिक कार्रवाई कार्यक्रम, जम्मू एवं कश्मीर, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में मीडिया प्लान/विज्ञापन एवं प्रचार के लिए प्रावधान शामिल है।

12. **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग:** इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रशासनिक और अन्य खर्चों के लिए प्रावधान शामिल है।

13. **जनगणना, सर्वेक्षण और सांख्यिकी/भारत का महारजिस्ट्रार:** इसमें भारत के महारजिस्ट्रार तथा जनगणना आयुक्त के कार्यालय तथा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर सहित आरजीआई की विभिन्न योजनाओं के लिए प्रावधान शामिल हैं।

14. **अन्य केंद्रीय विविध व्यय:** इसमें गृह मंत्री के विवेकाधीन अनुदानों, क्षेत्रीय सुधारालय प्रशासन संस्थान, सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों के निवास पर सुरक्षा संबंधी निर्माण कार्य, पुलिस मेडल, अंतरराष्ट्रीय अभिदायों, पूर्वोत्तर के लिए विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण, राष्ट्रीय एकता तथा आंतरिक सुरक्षा के लिए प्रावधान शामिल है।

15. **वास्तविक वसूलियां:** वास्तविक वसूलियां अनुदान के अंतर्गत हैं।

18. **होम गार्ड:** यह गृह मंत्रालय द्वारा तैयार एक व्यापक पैटर्न और नीति के अंतर्गत राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा गठित तथा कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने, यातायात नियंत्रण, सरकारी संपत्ति की सुरक्षा, सीमाओं की चौकसी तथा चुनाव संबंधी कार्य के लिए राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र पुलिस बल की सहायता के लिए प्रयोग किए जाने वाला एक स्वयंसेवी बल है। यह प्रावधान होम गार्ड को गठित करने, प्रशिक्षित करने तथा सुसज्जित करने के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के लिए है।

19. **नागरिक रक्षा:** प्रावधान नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवियों को बेहतर प्रशिक्षण प्रदान करने तथा उन्हें सुसज्जित करने के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के लिए है।

20. **केंद्रीय अधिनियमों के प्रशासन के लिए राज्य सरकारों को भुगतान:** असम में विदेशी ट्रिब्यूनल के प्रशासन के लिए प्रावधान शामिल है।